गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

पत्रांक 715 /मा0प्लान/जोन–1/2016 दिनांक 18.01.2016

सेवा में,

श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री चौधरी मॉगेराम
व श्रीमति ओमवीरी
पता– आर–11/135, राजनगर, गाजियाबाद।

महोदय/महोदया,

आपके प्रार्थना पत्र दिनॉक–24/12/14 के सन्दर्भ में खसरा संख्या–1091/4एम व 1091/5एम, ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर प्रस्तावित होटल मानचित्र संख्या–549/जोन–1/होटल/14–15 की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनॉक–24/9/15 को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है–

1. यह मानचित्र स्वीकृति तिथि से केवल पॉच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय(जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0)किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसको शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
5. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
6. सडक सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री(बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध विकासकर्ता को स्वयं करना होगा।
7. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण स्वीकृत मानचित्रों, स्पेशिफिकेशन नियामों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्ही की होगी।
8. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अनतर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
9. सडक पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेगें।
10. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
11. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्रों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
12. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम क अनतगत कम से कम प्रति हेक्टेयर 125 पेड लगाना अनिवार्य होंगे।
13. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण–पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
14. 12.00 मीटर से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्पराधी व्यवधा सुनिश्चित करनी होगी।
15. संरचनासुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशें का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. भवन के उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। एवं सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिगं एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
17. निर्धारित 45.00 मीटर महायोजना मार्ग व 12.00 मीटर मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोडते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री–वाल का निर्माण रोड वाईडिनिगं की भूमि के बाद किया जायेगा।
18. 10 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु छोडना होगा।
19. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण–कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
20. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाहय विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
21. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
22. उक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्तें स्वीकृत मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
23. हिण्डन एअर फोर्स अथेरिटी से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने तक केवल 20 मी0 उँचाई तक निर्माण अनुमन्य होगा।

संलग्नक– एक सैट स्वीकृत मानचित्र

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक

पृ0संख्या– /मास्टर प्लान, जोन–1/16 दिनॉक–

प्रलिपित– प्रवर्तन खण्ड, जोन–1 को मानचित्र का एक सैट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक